


न्यायालय श्रीमान राजस्व मन्त्र न्यायालय न्यायालयरी सिक्रेट कोर्ट रीवा मण्डल,



RS. 20/-

R/4003/III/2014

श्रीगोविन्द पटेल तथा श्रीमती लक्ष्मी पटेल एवं अन्य, निवासी कांती

तहसील गुडगाँव जिला रीवा मण्डल,

गैरी नगरानी कर्ता

विरुद्ध

श्रीमती लक्ष्मी पटेल पत्नी श्रीमती प्रसाद पटेल उम्र 42 साल, निवासी ग्राम कांती, तहसील गुडगाँव जिला रीवा मण्डल,

गैरी नगरानी कर्ता

श्री. मदन मोहन वाडेय एड्व. द्वारा आज दिनांक 13.11.14 के प्रस्तुत किया गया।  
रीडर  
सिक्रेट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3164  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 13.11.14 को प्राप्त  
ब्लॉक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. बवालियर

गैरी नगरानी विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुडगाँव जिला रीवा मण्डल

के अपील प्रकरण

आदेश पत्रिका दि. 28/10/14 अतीरम आदेश

गैरी नगरानी - अतीरम धारा 50 मण्डल भू 0 रा 0 सीहत 195 ई.

गैरी नगरानी के आधार नियम न है -

- 1- यही कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अतीरम आदेश दि. 28/10/14 विधि एवं प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्त की जाने योग्य है।
- 2- यही कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील / गैरी नगरानी कर्ता ने अर्द्ध विधि अर्द्ध अपील के बेल म्याद के प्रस्तुत किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुडगाँव ने सही मानकर स्वीकृत अपील को समय सीमा के अंदर मानकर रजिस्ट्रार कर लिया है। जो नियम व प्रक्रिया के विपरित है।
- 3- यही कि गैरी नगरानी कर्ता ने जो धारा 5 म्याद अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पत्र प्रस्तुत किया है, वह पूर्णतः गलत व अवैध आधारों पर है।

*(Handwritten signature)*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4003-तीन/14

जिला -रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.2016	<p>आवेदक के अधिवक्ता कई पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं उनको समय समय पर आवाज लगवाई गई उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं। अतः आवेदक के अनुपस्थित नहीं होने के कारण तथा प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <p> सदस्य</p>	

M ✓